

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14- अशोक मार्ग,
लखनऊ

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ0प्र0 सरकार के उपक्रम, यथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा दिनांक 08.12.2014 एवं कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाइ कम्पनी द्वारा दिनांक 15.12.2014 को वर्ष 2015-16 का सकल राजस्व आवश्यकता याचिका एवं वर्ष 2012-13 का टू-अप याचिका तथा दिनांक 02.01.2015 को टैरिफ प्रस्ताव मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मा0 आयोग द्वारा सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दिनांक 23.03.2015 को स्वीकार करने के उपरान्त दिनांक 18.06.2015 को वर्ष 2015-16 का टैरिफ आदेश निर्गत कर दिया गया है।

वर्ष 2015-16 हेतु निर्गत टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत सूचित किये जाते हैं :-

वर्ष 2015-16		वितरण निगम				
क्र0 सं0	विवरण	प.वि.वि.नि. मेरठ	द.वि.वि.नि. आगरा	म.वि.वि.नि. लखनऊ	पू.वि.वि.नि. वाराणसी	केस्को कानपुर
1	ऊर्जा कय (मि0यू0)	31,891	26,715	19,278	23,000	4,008
2	वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विकय (मि0यू0)	30,239	25,331	18,279	21,809	3,800
3	यू0पी0पी0सी0एल0 से ऊर्जा क्रय मूल्य (रू0 करोड़)	12,906	10,811	7,801	9,308	1,622
4	बल्क सप्लाइ दर वितरण निगम हेतु (रू0/यूनिट)	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27
5	वितरण लाईन हानियाँ (%)	19.52%	29.00%	21.03%	20.93%	23.50%
6	कुल ऊर्जा विकय (मि0यू0)	24,337	17,985	14,435	17,244	2,907
7	कुल व्यय (बिना आर0ओ0ई0) (रू0 करोड़)	14,819	12,509	9,381	11,203	1,937
8	घटायें : टैरिफ के अतिरिक्त अन्य आय (रू0 करोड़)	23	21	35	27	58
9	घटायें : उ0प्र0 भासन द्वारा अनुदान(रू0 करोड़)	1,749	1,444	940	1,780	0
10	सकल राजस्व आव यकता (रू0 करोड़)	13,047	11,044	8,405	9,396	1,879
11	वर्तमान विद्युत दरों पर अनुमानित आय (रू0 करोड़)	12,291	8,363	7,762	7,787	1,909
12	वर्तमान दर के अनुसार शेष राजस्व अन्तर (रू0 करोड़)	757	2,681	643	1,609	-30
13	अतिरिक्त सहायिकी, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जानी हैं (रू0 करोड़)	839	964	166	381	0
14	पूर्व वर्षों का संकलित राजस्व अन्तर (वर्ष 2012-13 तक) (रू0 करोड़)	1,312	6,120	6,006	6,250	909
15	दर वृद्धि से अतिरिक्त राजस्व आय (रू0 करोड़)	501	329	337	318	96
16	अनुमोदित दरों पर कुल राजस्व अन्तर (रू0 करोड़)	729	7,508	6,146	7,160	783
17	रेग्युलेटरी सरचार्ज के उपरान्त कुल राजस्व अन्तर (रू0 करोड़)	294	7,212	5,871	6,884	717
18	ऊर्जा आपूर्ति की औसत लागत (रू0/यूनिट)	6.46	6.46	6.46	6.46	6.46
19	औसत व्हीलिंग चार्जेज (रू0/यूनिट)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.64

वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर टैरिफ आदेश वि०ब० (2014-15)	अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वि०ब० (2015-16)
एल०एम०वी०-1	घरेलू बत्ती, पंखा		
	क-प्राथमिक आपूर्ति		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज		
	2 कि०वा० भार तक	₹ 180 प्रति संयोजन प्रति माह	₹ 180 प्रति कि०वा०प्रति माह
	2 कि०वा० से अधिक	₹ 200 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 200 प्रति कि०वा०प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 50 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 50 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 2.20 प्रति यूनिट	₹ 2.20 प्रति यूनिट
	ख-सिंगल फ्लाइंग बल्क लोड		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 70 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 85 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 5.25 प्रति यूनिट	₹ 5.50 प्रति यूनिट
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी के लिए)		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 75 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 90 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	150 यूनिट/माह तक ₹ 4.00 प्रति यूनिट 151 से 300 यूनिट/माह तक ₹ 4.50 प्रति यूनिट 301 से 500 यूनिट/माह तक ₹ 5.00 प्रति यूनिट 500 यूनिट/माह से अधिक ₹ 5.50 प्रति यूनिट	150 यूनिट/माह तक ₹ 4.40 प्रति यूनिट 151 से 300 यूनिट/माह तक ₹ 4.95 प्रति यूनिट 301 से 500 यूनिट/माह तक ₹ 5.60 प्रति यूनिट 500 यूनिट/माह से अधिक ₹ 6.20 प्रति यूनिट
	घ- लाइफ लाइन उपभोक्ता		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 50 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 50 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	0-50 यूनिट/माह तक ₹ 2.00 प्रति यूनिट 51-150 यूनिट/माह तक ₹ 2.85 प्रति यूनिट	0-50 यूनिट/माह तक ₹ 2.00 प्रति यूनिट 51-150 यूनिट/माह तक ₹ 3.90 प्रति यूनिट
एल०एम०वी०-2	वाणिज्यिक बत्ती, पंखा		
	क-प्राथमिक आपूर्ति		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज		
	2 कि०वा० भार तक	₹ 350 प्रति संयोजन प्रति माह	₹ 450 प्रति कि०वा० प्रति माह
	2 कि०वा० से अधिक	₹ 400 प्रति कि०वा० प्रति माह	
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 65 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 65 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 2.75 प्रति यूनिट	₹ 3.00 प्रति यूनिट
	ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स		
	मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज	-	-
	इनर्जी चार्ज	₹ 14.00 प्रति यूनिट	₹ 18.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 1200 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 1500 प्रति कि०वा० प्रति माह
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन(सभी के लिए)		
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 225 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	0-150 यूनिट/माह ₹ 6.00 प्रति यूनिट 151-300 यूनिट/माह ₹ 6.50 प्रति यूनिट 301-1000 यूनिट/माह ₹ 6.80 प्रति यूनिट 1000 यूनिट से अधिक/माह ₹ 7.10 प्रति यूनिट	0-300 यूनिट/माह ₹ 6.70 प्रति यूनिट 301-1000 यूनिट/माह ₹ 7.10 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.25 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	-	₹ 600/कि०वा०/माह(अप्रैल से सितम्बर) एवं ₹ 475/कि०वा०/माह(अक्टूबर से मार्च)
एल०एम०वी०-3	सार्वजनिक प्रकाश		
	(1) मीटर रहित संयोजन		
	ग्राम पंचायत	₹ 1700 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 1700 प्रति कि०वा०प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 2000 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 2200 प्रति कि०वा०प्रति माह
	नगर निगम	₹ 2500 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 3000 प्रति कि०वा०प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन		
	फिक्स्ड चार्ज		
	ग्राम पंचायत	₹ 120 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 120 प्रति कि०वा०प्रति माह
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 150 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 150 प्रति कि०वा०प्रति माह
	नगर निगम	₹ 160 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 160 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज		
	ग्राम पंचायत	₹ 5.50 प्रति यूनिट	₹ 5.75 प्रति यूनिट
	नगर पालिका/नगर पंचायत	₹ 5.85 प्रति यूनिट	₹ 6.00 प्रति यूनिट
	नगर निगम	₹ 6.00 प्रति यूनिट	₹ 6.25 प्रति यूनिट
	टार्न ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	टोओडोडो दर	टोओडोडो दर
	1800 से 0600 बजे तक	0	0
	0600 से 1800 बजे तक	(+)20%	(+)20%
एल०एम०वी०-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएँ		
	अ-सार्वजनिक संस्थाएँ	अ- राज्य सरकार एवं उससे पोषित संस्थाएँ	अ- राज्य सरकार एवं उससे पोषित संस्थाएँ
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200 प्रति कि०वा०प्रति माह	₹ 200 प्रति कि०वा०प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	0-1000 यूनिट/माह तक ₹ 6.50 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 6.80 प्रति यूनिट	0-1000 यूनिट/माह तक ₹ 6.75 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.00 प्रति यूनिट
	ब-निजी संस्थाएँ	ब- संस्थाएँ (अ के अतिरिक्त)	ब- संस्थाएँ (अ के अतिरिक्त)
	फिक्स्ड चार्ज	₹ 200 प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 225 प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	0-1000 यूनिट/माह तक ₹ 6.80 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.10 प्रति यूनिट	0-1000 यूनिट/माह तक ₹ 7.10 प्रति यूनिट 1000 यूनिट/माह से अधिक ₹ 7.30 प्रति यूनिट

वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर टैरिफ आदेश वि०वा० (2014-15)		अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वि०वा० (2015-16)	
एल०एम०वी०-5	निजी नलकूप				
	क-ग्रामीण आपूर्ति				
	(1) मीटर सहित संयोजन				
	फिक्सड चार्ज	₹ 100	प्रति बीएचपी/माह	₹ 100	प्रति बीएचपी/माह
	अधिकतम लाईट लोड स्वीकृत	120	वॉट	120	वॉट
	(2) मीटर सहित संयोजन				
	फिक्सड चार्ज	₹ 30	प्रति बीएचपी/माह	₹ 30	प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 1.00	प्रति यूनिट	₹ 1.00	प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 75	प्रति बीएचपी/माह	₹ 75	प्रति बीएचपी/माह
	ख-शहरी आपूर्ति				
	फिक्सड चार्ज	₹ 55	प्रति बीएचपी/माह	₹ 75	प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 5.00	प्रति यूनिट	₹ 5.20	प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	₹ 160	प्रति बीएचपी/माह	₹ 160	प्रति बीएचपी/माह
एल०एम०वी०-6	लघु एवं मध्यम उद्योग				
	क-शहरी आपूर्ति				
	फिक्सड चार्ज	₹ 225	प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 225	प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	0-1000 यूनिट/माह तक	₹ 6.20 प्रति यूनिट	0-1000 यूनिट/माह तक	₹ 6.60 प्रति यूनिट
		1000 यूनिट/माह से अधिक	₹ 6.80 प्रति यूनिट	1000 यूनिट/माह से अधिक	₹ 7.10 प्रति यूनिट
	ख-ग्रामीण आपूर्ति				
		ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमत्त।		ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी० रेट के अनुमत्त।	
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)		टी०ओ०डी० दर		टी०ओ०डी० दर
	22:00 से 06:00 बजे तक		(-) 7.5%		(-) 7.5%
	06:00 से 17:00 बजे तक		0%		0%
	17:00 से 22:00 बजे तक		(+) 15%		(+) 15%
	विशिष्ट उपभोक्ताओं हेतु वैकल्पिक टी०ओ०डी०				
	06:00 से 22:00 बजे तक			0%	(प्रतिबन्धित भार - संविदा भार का 15 प्रतिशत)
	22:00 से 06:00 बजे तक			(-) 15%	
एल०एम०वी०-7	जलकल				
	क-शहरी आपूर्ति				
	फिक्सड चार्ज	₹ 230	प्रति कि०वा० प्रति माह	₹ 230	प्रति कि०वा० प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.80	प्रति यूनिट	₹ 7.10	प्रति यूनिट
	ख-ग्रामीण आपूर्ति				
		ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू फिक्सड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमत्त।		ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमत्त।	
एल०एम०वी०-8	राजकीय नलकूप				
	(1) मीटर सहित संयोजन				
	फिक्सड चार्ज	₹ 200	प्रति बीएचपी/माह	₹ 200	प्रति बीएचपी/माह
	इनर्जी चार्ज	₹ 6.55	प्रति यूनिट	₹ 6.80	प्रति यूनिट
	(2) मीटर सहित संयोजन				
	फिक्सड चार्ज	₹ 1500	प्रति बीएचपी/माह	₹ 1800	प्रति बीएचपी/माह
एल०एम०वी०-9	अस्थायी संयोजन				
	(1) मीटर सहित संयोजन				
	फिक्सड चार्ज	₹ 3000	प्रति दिन	₹ 3000	प्रति दिन
	क. सार्वजनिक प्रकाश एवं उद्घोषणा (20कि.वा. तक एवं ₹ 100/कि०वा०/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि०वा० भार के लिए)				
	ख. फिक्सड चार्ज: मंले/त्वोहारों में अस्थायी दुकान(2कि.वा. तक)	₹ 200	प्रति दिन/दुकान	₹ 250	प्रति दिन/दुकान
	(2) मीटर सहित संयोजन				
	इनर्जी चार्ज				
	(1) व्यक्तिगत मकान निर्माण हेतु	₹ 6.50	प्रति यूनिट	₹ 6.50	प्रति यूनिट
					तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	(2) अन्य	₹ 7.85	प्रति यूनिट	₹ 7.85	प्रति यूनिट
					तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त
	न्यूनतम चार्ज	₹ 150	प्रति कि०वा०/सप्ताह	₹ 150	प्रति कि०वा०/सप्ताह
एल०एम०वी०-10	विभागीय उपभोक्ता				
	(1) मीटर सहित संयोजन				
	उपभोक्ता श्रेणी	फिक्सड चार्ज प्रति माह	फिक्सड इनर्जी चार्ज प्रति माह	फिक्सड चार्ज प्रति माह	फिक्सड इनर्जी चार्ज प्रति माह
	चतुर्थ श्रेणी/परिचालीय वर्ग	₹ 140	₹ 160	₹ 160	₹ 180
	तृतीय श्रेणी	₹ 170	₹ 200	₹ 190	₹ 225
	अवर अभियंता एवं समकक्ष	₹ 230	₹ 370	₹ 260	₹ 425
	सहायक अभियंता एवं समकक्ष	₹ 260	₹ 520	₹ 280	₹ 560
	अधिशासी अभियंता एवं समकक्ष	₹ 280	₹ 550	₹ 300	₹ 595
	अधीक्षण अभियंता/उप महाप्रबंधक एवं समकक्ष	₹ 510	₹ 650	₹ 550	₹ 700
	मुख्य अभियंता (I&II)/महाप्रबंधक एवं उसके ऊपर	₹ 550	₹ 750	₹ 600	₹ 810
	अतिरिक्त चार्ज - ए०सी० के उपयोग पर (अप्रैल से सितम्बर)	₹ 550	प्रति ए०सी० प्रति माह	₹ 600	प्रति ए०सी० प्रति माह
	(2) मीटर सहित संयोजन				
		घरेलू बत्ती पंखा (एल०एम०वी०-1) के "अन्य मीटर" श्रेणी के अन्तर्गत रेट आफ चार्ज पर 50 प्रतिशत छूट		दिनांक 31.12.2015 तक घरेलू बत्ती पंखा (एल०एम०वी०-1) के "अन्य मीटर" श्रेणी के अन्तर्गत रेट आफ चार्ज पर 50 प्रतिशत छूट	
				1 जनवरी 2016 से इस श्रेणी की दर अन्य मीटर सहित एल०एम०वी०-1 श्रेणी की दरों जैसी ही जायेगी एवं छूट का निर्धारण लाइसेन्सी द्वारा किया जायेगा।	

वर्तमान एवं अनुमोदित विद्युत दरों का विवरण

दर अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	वर्तमान लागू दर टैरिफ आदेश वि०ब० (2014-15)	अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वि०ब० (2015-16)
एच०वी०-1	उद्योग रहित बल्क लोड		
	(क) वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर) डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 270 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 250 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 270 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 250 प्रति के०वी०ए०/माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 6.80 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.60 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 7.10 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.90 प्रति के०वी०ए०एच०
	(ख) सार्वजनिक संस्थान हेतु (75कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर) डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 250 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 240 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 250 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 240 प्रति के०वी०ए०/माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	₹ 6.60 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.40 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.90 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.70 प्रति के०वी०ए०एच०
एच०वी०-2	बड़े एवं भारी उद्योग		
	0.4 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर 11 के.वी. एवं अधिक विद्युत आपूर्ति पर क-शहरी आपूर्ति	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर लागू दर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर लागू दर
	आधार दर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर 11 के.वी. से अधिक एवं 66 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर 66 के.वी. से अधिक एवं 132 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर 132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर 11 के.वी. से अधिक एवं 66 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर 66 के.वी. से अधिक एवं 132 के०वी० तक विद्युत आपूर्ति पर 132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर
	डिमाण्ड चार्ज (₹०/के०वी०ए०/माह) इनर्जी चार्ज (₹०/के०वी०ए०एच०)	250 6.30	240 6.00
	टाईम ऑफ द डे	टी०ओ०डी० दर	टी०ओ०डी० दर
	22:00 से 06:00 बजे तक	(-) 7.5%	(-) 7.5%
	06:00 से 17:00 बजे तक	0%	0%
	17:00 से 22:00 बजे तक	(+) 15%	(+) 15%
	विशिष्ट उपभोक्ताओं हेतु वैकल्पिक टी०ओ०डी०		
	06:00 से 22:00 बजे तक 22:00 से 06:00 बजे तक		0% (प्रतिबन्धित भार - संविदा भार का 15 प्रतिशत) (-) 15%
	ख-ग्रामीण आपूर्ति *	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमत्त होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमत्त।	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के०वी० तक के उपभोक्ताओं को ही अनुमत्त होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी०ओ०डी रेट के अनुमत्त।
एच०वी०-3	रेलवे ट्रेक्शन		
	(क) रेलवे ट्रेक्शन डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक आपूर्ति 132 के.वी. से कम	₹ 280 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 280 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 280 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 290 प्रति के०वी०ए०/माह
	इनर्जी चार्ज आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक आपूर्ति 132 के.वी. से कम	₹ 6.05 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.30 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.35 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.60 प्रति के०वी०ए०एच०
	न्यूनतम चार्ज (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन 132 के.वी. या कम आपूर्ति पर	₹ 700 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 725 प्रति के०वी०ए०/माह
	डिमाण्ड चार्ज इनर्जी चार्ज न्यूनतम चार्ज	₹ 125 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 5.60 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 600 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 125 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 5.60 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 600 प्रति के०वी०ए०/माह
एच०वी०-4	लिफ्ट इरीगेशन		
	(a) डिमान्ड चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर आपूर्ति 132 के.वी. पर	₹ 250 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 240 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 230 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 250 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 240 प्रति के०वी०ए०/माह ₹ 230 प्रति के०वी०ए०/माह
	(b) इनर्जी चार्ज आपूर्ति 11 के.वी. पर आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर आपूर्ति 132 के.वी. पर	₹ 6.50 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.25 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.00 प्रति के०वी०ए०एच०	₹ 6.75 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.50 प्रति के०वी०ए०एच० ₹ 6.25 प्रति के०वी०ए०एच०
	(c) न्यूनतम चार्ज	₹ 750 प्रति के०वी०ए०/माह	₹ 800 प्रति के०वी०ए०/माह

लागू रेग्युलेटरी सरचार्ज:

- रेग्युलेटरी सरचार्ज-1** : माननीय आयोग के आदेश दिनांक 22.04.2015 के अनुपालन में दक्षिणांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र (केस्को को छोड़कर) के घरेलू बत्ती पंखा एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा क्रमशः 1.14, 0.73, 2.84 एवं 1.03 प्रतिशत तथा अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा 2.84 प्रतिशत की दर से रेग्युलेटरी सरचार्ज-1 देय होगा। (इन दरों को माननीय नियामक आयोग ने अपने पत्र सं० UPERC/Secy/D(Tariff)/15-561 dated 17.06.2015 द्वारा पुनः स्पष्ट किया है)
- रेग्युलेटरी सरचार्ज-2**: माननीय आयोग के टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2015-16, दिनांक 18.06.2015 के अनुपालन में 4.28 प्रतिशत की दर से दक्षिणांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं द्वारा रेग्युलेटरी सरचार्ज-2 देय होगा।
- रेग्युलेटरी सरचार्ज-2** : माननीय आयोग के टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2015-16, दिनांक 18.06.2015 के अनुपालन में केस्को, कानपुर क्षेत्र के घरेलू बत्ती पंखा एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा 3.91 प्रतिशत तथा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 4.13 प्रतिशत की दर से रेग्युलेटरी सरचार्ज-2 देय होगा।

च०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरें एवं रेग्युलेटरी सरचार्ज इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 7 दिन बाद से सभी चारों वितरण निगमों एवं केस्को में स्वतः लागू हो जाएँगी। उपरोक्त अनुमोदित दरें समस्त वितरण निगमों की वेबसाइट(www.mvnl.in, www.dvnl.org, www.puvnl.up.nic.in, www.pvnl.org, www.kesco.co.in) एवं च०प्र० पावर कारपोरेशन तथा च०प्र० विद्युत नियामक आयोग की वेबसाइट कमर (www.uppcl.org & www.uperc.org) पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष
मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं केस्को